



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
जनसंपर्क कार्यालय
PUBLIC RELATIONS OFFICE



ग्राम साटोडा में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
हिंदी विश्वविद्यालय की पहल



वर्धा, दिनांक 23.02.2024 : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के विधि विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्धा द्वारा शुक्रवार 23 फरवरी को ग्राम पंचायत साटोडा में परियोजना कार्य एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और ग्रामीणों को विधिक संबंधी जानकारी देकर कानून के प्रति जागरूक किया गया। विधिक जागरूकता कार्यक्रम में गुड टच और बेड टच विषय पर डॉ. युवराज खरे ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। पर्यावरण संरक्षण पर डॉ. दिव्या शुक्ला ने बच्चों के साथ जानकारी साझा की। बाल अधिकार पर विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी तथा मोटर यान, सुरक्षा से संबंधित विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक देशमुख ने जागरूक किया।



इस दौरान विद्यार्थियों ने गांव में भ्रमण कर ग्रामीणों को कानूनी साक्षरता, बाल विवाह जैसे अन्य विषयों पर कानूनी जागरूकता और उनकी समस्याओं को जानकर उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के गरीब लोगों को न्याय सेवाओं की तलाश और मांग के लिए सशक्त बनाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधि विद्यार्थियों का परियोजना कार्य के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी था। कार्यक्रम में विधि विद्यार्थियों के साथ डॉ. संदीप कुमार वर्मा, डॉ. परमानन्द राठौर, डॉ. विजय कुमार सिंह, अमोल आड़े, प्रवीण खवशी, विक्की लांडे तथा जिला परिषद उच्च प्राथमिक शाला के प्रधानाचार्य रविंद्र पावडे, शिक्षक अरुणा हजारे, नितेश आड़े, मंजिरी डुकरे सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

ई-मेल/E-mail: mgahvpro@gmail.com, वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org

दूरभाष: +91-7152-252651 मोबाइल/Mobile : 9960562305